: :– प्रेस–विज्ञप्ति : :– दिनांक 7.9.2011

दुर्घटना के दर्ज प्रकरण

थाना खेरवाडा में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी मुकेश पिता रवि मीणा नि. खाण्डी ओवरी ने मारूती कार आर. जे–27–सी.बी–9589 के चालक के विरूद्व कार को तेजगति लापरवाही से चलाकर पैदल जाते हुए रवि के टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 258/11 धारा 279,304ए भा.द.स. में दर्ज किया गया।

दहेज प्रताडना के दर्ज प्रकरण

थाना सराडा में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थीया श्रीमती सुमन पत्नी हेमन्त कुमार सालवी नि. सेमारी ने अपने पति हेमन्त वगेरा 4 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने व स्त्रीधन हडपने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 108/11 धारा 498ए,406 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना सराडा में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थीया श्रीमती केसर पत्नी देवीसिंह नि. रोहीडा ने अपने पति देवीसिंह वगेरा 3 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने व स्त्रीधन हडपने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 149/11 धारा 498ए,406 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना मावली में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थीया श्रीमती कैलाशी पत्नी नाथुलाल प्रजापत नि. पलाना खुर्द ने अपने पति नाथुलाल के विरूद्व प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने व स्त्रीधन हडपने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 129/11 धारा 498ए भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना फतहनगर में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थीया श्रीमती हिना पत्नी कैलाश ब्राहमण नि. फलीचडा की डोली ने अभियुक्त नारायण पिता चेनाराम नि. छोटा रावलीया खुर्द वगेरा 4 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने व स्त्रीधन हडपने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 168/11 धारा 498ए,406 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

धोखाधडी के दर्ज प्रकरण

थाना घण्टाघर में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थी दीपक पिता गोविन्दलाल सोनी नि. गणेशघाटी ने अभियुक्ता श्रीमती नन्दनी पुत्री गोपालाल सोनी नि. कानोड वगेरा 3 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व प्रार्थी को धोखे में रखकर प्रार्थी की शादी पूर्व में शादीशुदा औरत के साथ शादी कराने व शादी के बाद जेवरात हडपने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 56/11 धारा 420,406 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना गो.विलास में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थी रतना पिता नाथु भील नि. परसाद ने अभियुक्त किशनलाल पिता नारायणलाल भील नि. बडी वगेरा 3 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व षडयंत्र पूर्वक प्रार्थी की जमीन को हडपने की नियत से प्रार्थी की अपहरण कर जबरन प्रार्थी की जमीन की रजिस्ट्री कराने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 327/11 धारा 420,467,468,471,365,342,120बी भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना हिरणमगरी में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थी मनोहर पिता सरदारलाल तलेसरा नि. मादडी ने अभियुक्त अशोक पिता चान्दमल चन्डालीया नि. घासा वगेरा 3 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व प्रार्थी के साथ धोखाधडी कर प्रार्थी के भू–खण्ड पर कब्जा करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 397/11 धारा 420,406 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना अम्बामाता में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थी बनाराम पिता पुसाराम नि. पुला ने अभियुक्त नारू पिता उदाराम चौधरी नि. ऋषभदेव वगेरा 4 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व प्रार्थी के व्यवसाय में धोखाधडी करने व प्रार्थी को झूठे मुकदमें में फसाने की धमकी देने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 374/11 धारा 341,388,379,420,120बी भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना कोटडा में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थी बाबु पिता रामा ढापी नि. डूंगरीया ने अभियुक्त आमराज पुरोहित नि. मोराई जैताणा पाली वगेरा 2 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व प्रार्थी को धोख में रखकर ट्रेक्टर व ट्रोली को धोखाधडी पूर्वक हडपने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 117/11 धारा 420,406 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना भुपालपुरा में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी मिळालाल पिता नाथुलाल माडोत नि. सहेली नगर ने अभियुक्त एस.के मेहता एण्ड कम्पनी भुपालपुरा वगेरा 3 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व प्रार्थी को अपनी कम्पनी में रूपये लगाकर अधिक रूपये कमाने का झांसा देकर प्रार्थी से 8 लाख रूपये अपनी कम्पनी में निवेश कराने व बाद में धोखाधडी कर राशि हडपने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 219/11 धारा 420,406 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना गो.विलास में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी सोहनलाल पिता भैरूलाल नाई नि. सेक्टर नम्बर 14 ने अभियुक्त अजीतसिंह पिता हंसराज के विरूद्व प्रार्थी को मकान दिलाने की दिलाने का झांसा देकर 1 लाख 20 हजार रूपये लेना व बाद में मकान नहीं दिलाकर धोखाधडी करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 328/11 धारा 420 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

चोरी के दर्ज प्रकरण

थाना सुखेर में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थी कृष्णसिंह पिता नवलसिंह नि. बरोडीया खैरोदा ने अज्ञात मुल्जिमों के विरूद्व प्रार्थी की मोटर साईकिल को चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 264/11 धारा 379 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना सुखेर में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थी मोहनलाल पिता हरिशंकर मेनारिया नि. चिरवा ने अज्ञात मुलिजमों के विरूद्व रात्री के समय प्रार्थी के मकान का ताला तोडकर अन्दर से जेवरात व लेईसेंसशुदा बन्दुक चुरा कर ले जाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 265/11 धारा 457,380 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना फतहनगर में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी ओमप्रकाश पिता वरदीचन्द माली नि. चंगेडी ने अज्ञात मुल्जिमों के विरूद्व प्रार्थी के खेत से चन्दन का पेड काटकर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 132/11 धारा 379 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

भारतीय चिकित्सा अधिनियम के दर्ज प्रकरण

थाना सायरा में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी रामलाल पिता नानालाल सुथार नि. बडगॉव हॉल एम.ओ. पीचसी नान्देशमा ने अभियुक्त उत्तमदास पिता नारायणदास नि. कलकता हॉल बंगाली डॉक्टर नान्देशमा के विरूद्व बिना डिग्री के फर्जी तरीके से लोगों का ईलाज कर धोखाधडी करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 151/11 धारा 420 भा.द.स. व 15 (2)(3) भारतीय चिकित्सा अधिनियम में दर्ज किया गया।

गौ–वध निषेध अधिनियम के दर्ज प्रकरण

थाना प्रतापनगर में दिनांक 7.9.2011 को अभियुक्त ट्रक आर.जे–30–जी.ए–1411 व आर.जे–21–जी.ए–2306 के चालक के विरूद्व ट्रको में क्षमता से अधिक 42 गाय व बछडे भरकर अवैध रूप से परिवहन करने पर अभियुक्तों के गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण संख्या 338/11 धारा 6–9 गौ–वध निषेध अधिनियम में दर्ज किया गया।

अपहरण के दर्ज प्रकरण

थाना सराडा में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थी पुना पिता भैरा मीणा नि. बटुका ने अभियुक्त देवीलाल अध्यापक रा.उ.प्रा. विधालय झाडोल के विरूद्व प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 106/11 धारा 363,366 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

आर्म्स एक्ट के दर्ज प्रकरण

थाना गोगुन्दा में दिनांक 6.9.2011 को अभियुक्त नोजीराम पिता टीमाराम गमेती नि. रावलीया को अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान पर नंगी छुरी अपने कब्जे में लेकर घुमने व आम लोगों को डराने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण संख्या 222/11 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया।

मारपीट के दर्ज प्रकरण

थाना कोटडा में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थी देवीलाल पिता पदा खोखरीया नि. बोडी कला ने अभियुक्त रतना पिता गोपी पारगी नि. बोडी कला वगेरा 8 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व प्रार्थी के जमीन में जबरन प्रवेश हो प्रार्थी के साथ मारपीट करने व बैलो को पत्थरो व कुल्हाडी से मारने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 116/11 धारा 143,447,323,336,429 भादस में दर्ज किया गया।

थाना फतहनगर में दिनांक 6.9.2011 को मारपीट व छेडछाड के दो प्रकरण दर्ज किये गये प्रार्थीया ने अभियुक्त विजयलाल पिता दुर्गा बन्जारा नि. खेमपुरा वगेरा 5 अन्य अभियुक्तो के विरूद्व प्रार्थीया के मकान में जबरन प्रवेश हो प्रार्थीया के साथ छेडछाड करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 130/11 धारा 143,452,354 भादस व प्रार्थीया नेअभियुक्त मनालाल पिता चुन्नीलाल तेली नि. फलीचडा के विरूद्व प्रार्थीया के मकान में जबरन प्रवेश हो प्रार्थीया के साथ मारपीट कर स्त्री लज्जा भंग करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 131/11 धारा 452,323,354 भादस में दर्ज किया गया।

अप्राकृतिक मृत्यु के दर्ज प्रकरण

थाना ऋषभदेव में दिनांक 6.9.2011 को प्रार्थी ओमप्रकाश पिता ईश्वर शर्मा नि. विविपुर सीकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मृतक लक्ष्मणरा पिता पुला मीणा नि. बिलख की अचानक करन्ट लगने से मृत्यु होने की रिपोर्ट पर मर्ग नम्बर 25/11 धारा 174 जा.फौ. में दर्ज किया गया।

Ex Act के दर्ज प्रकरण

थाना सुरजपोल में दिनांक 6.9.2011 को अभियुक्त तुलसा पिता लक्ष्मण मीणा नि. टीडी फला गो.विलास को अवैध रूप से 5 बोतल देशी महुवे की शराब अपने कब्जे में रखकर परिवहन करने पर प्रकरण संख्या 374/11 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में दर्ज किया गया।

13 RPGO Act के दर्ज प्रकरण

थाना सुरजपोल में दिनांक 7.9.2011 को अभियुक्त साबीर पिता ईलीयास नि. रेल्वे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती को अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की पर्चीया काटकर जुऑ खेलने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण संख्या 375/11 धारा 13 RPGO Act में दर्ज किया गया।

107,116 (3) 151 CRPC में गिरफ्तार

जिले के निम्न थानो में धारा 151 में गिरफ्तार अभियुक्त

थाना सलूम्बर– नाथु पिता नानजी डांगी नि. हर।

थाना कानोड– नाथु पिता भुरा मीणा नि. कुरमडीया।

थाना खेरवाडा— सुभाष पिता पदमा पटेल नि. खेरवाडा।

थाना गोगुन्दा— परथा पिता नवा गमेती नि. हथनीयावर।

थाना वल्लभनगर— माधुलाल पिता मेघा ब्रहामण , रमेशचन्द्र पिता माधुलाल , गणपत पिता मेघा ब्रहामण , राजकुमार पिता गणपत लाल ब्राहमण नि. सिंधीयों का बडगॉव।

गो.विलास— रसीद उर्फ कालु पिता मुबारीक खॉ नि. नई आबादी गो.विलास।

वारंट में गिरफ्तार अभियुक्त

थाना सलूम्बर में दिनांक 6.9.2011 को अभियुक्त मिठ्यालाल पिता देवा कालबेलिया नि. बामणीया खैरोदा को स्थाई वारंट 177/02 में गिरफ्तार किया गया।

थाना सुरजपोल में दिनांक 6.9.2011 को अभियुक्त कुन्दन पिता भंवरलाल हरीजन नि. हरीजन बस्ती खाजींपीर को गिर. वारंट 590/06 में गिरफ्तार किया गया।

थाना खैरोदा में दिनांक 6.9.2011 को अभियुक्त जनक पिता नारायण सुथार नि. मोडी को गिर. वारंट 15/08 में गिरफ्तार किया गया।